

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क./बोर्ड/विधि/विविध-19/प्रत्या./91/पार्ट-2/455 भोपाल, दिनांक 21-4-17

**::आदेश::**

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972(कमांक-24 सन् 1973) की धारा-65 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं राकेश श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित धाराओं एवं मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना आवंटन) नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील/आवेदन संबंधी अनुसूची के कालम नंबर (3) में वर्णित शक्तियाँ, डॉ० हरदयाल वर्मा अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल को प्रत्यायोजित करता हूँ।

**-अनुसूची**

कमांक	म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा	प्रत्यायोजित की गई शक्तियों की सीमा
1.	2.	3.
(1)	धारा-34(1) (ख) तथा (3)	अनुज्ञप्ति रद्द करने, निलंबित करने या नवीनीकरण करने से इंकार करने के विरुद्ध अपील प्राप्त करना व आदेश पारित करना व स्वविवेकानुसार किसी कालावधि के लिये मंडी समिति के इस संबंध में दिये गये आदेश को रोकने की शक्ति।
(2)	धारा-59 (1) एवं (2)	मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने व उनका परीक्षण करना और आवश्यकतानुसार उपान्तरित करना, वातिल करना या उलटने या पुर्नविचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति।
(3)	धारा-61 (3) एवं (4)	मंडी समिति की शोध्य राशि के संबंध में जांच करने व विनिश्चय करने तथा रोकने की शक्ति।
(4)	नियम-19 (1) एवं (2)	आवंटन नियम के अधीन प्राप्त अपील पर आदेश पारित करना व जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी कालावधि के लिये जैसी वह उचित समझे रोकने की शक्ति।

- (1) यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया जाता है।
- (2) इस कार्यालय का आदेश कमांक/बोर्ड/विधि/प्रत्या./91/पार्ट-2/1150-1151 दिनांक 31/08/2016 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

  
(राकेश श्रीवास्तव)

प्रबंध संचालक,  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल.

//2//

क्र./बोर्ड/विधि/विविध-19/प्रत्या./91/पार्ट-2/ 456

भोपाल, दिनांक 21-4-17

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. डा0,हरदयाल वर्मा अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर अग्रेषित।
4. अपर संचालक, (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर अग्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री(समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर / ग्वालियर/भोपाल/सागर/उज्जैन/रीवा/इन्दौर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. समस्त सचिव, कृषि उपज मंडी समिति----- जिला ----- (म.प्र.).
9. समस्त पटल प्रभारी/आदेश नस्ती/सूचना पटल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(राकेश श्रीवास्तव)

प्रबंध संचालक,

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल.